206

-1

5 रु. भारत पाँच रुपये

5 रु. भारत पाँच रुपये

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व भण्डल म0प्र0 ग्वालियर

नि. / 3941 - II/15

प्रकरण क्रमांक /2015 निंगरानी

बशीर मोहम्मद पुत्र हाफिस सईद अहम्मद

निवासी– लटेरी रोड़, तहसील– सिरोंज

जिला– विदिशा

श्री ... द्वारा आज दि. 9.12.15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-12-15

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार सिरोंज

जिला विदिशा म0प्र0

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व सहिंता विरूद्ध सूचना पत्र दिनांक 04.12.2015 द्वारा जारी तहसीलदार सिरोंज प्रकरण क्रमांक 11/अ–68/2011–12।

9-12-15

महोदय,

... द्वारा अपन ... पत्र में तथ

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 3941—एक/2015 निगरानी जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव उनके अभिभाषकों के हस्ताक्षर
31-5-16	यह निगरानी तहसीलदार सिरोंज जिला विदिशा व्दारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (आगे जिसे संहिता अंकित किया गया है) के अंतर्गत आवेदक को जारी किये गये अतिकमण हटाओ सूचना पत्र कमांक 11 अ—68/ 2011—12 दिनांक 4—12—2015 के विरूद्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	
	2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 510/11—12 अपील में दिये गये आदेश दिनांक 18—7—12 के कम में राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने कस्वा सिरोंज स्थित भूमि खसरा नंबर 394 रकबा 2.399 हैक्टर का सीमांकन किया। सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार कस्वा सिरोंज की भूमि खसरा नंबर 394 के अंश भाग 0.20 हैक्टर पर आवेदक व्दारा मकान बनाकर अतिकमण करना मानते हुये तहसीलदार सिरोंज ने आवेदक को अतिकमण हटाओ सूचना पत्र दिनांक 4—12—2015 जारी किया। इसी सूचना पत्र पर से यह निगरानी आवेदक व्दारा प्रस्तुत की गई है।	
	3/ आवेदक के अभिभाषक श्री टी0सी0नरबरिया एंव शासन के पैनल लायर श्री अनिल श्रीवास्तव के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।	
	4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि कस्वा सिरोंज के लटेरी रोड के जिस भू भाग में आवेदक का मकान बना है वह रजिस्टर्ड विकय पत्र से विकीत भूमि है एंव आवेदक के पक्ष में इस भूमि का हिवानामा है जो भूमिस्वामी अमीउद्दीन पुत्र सियाउद्दीन से प्राप्त है। इसी भूमि का अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज ने प्रकरण कमांक 70 अ—2/ 1984—85 में पारित आदेश दिनांक 30—10—85 से डायवर्सन किया है और डायवर्सन	

उसी भूमि का किया जाता है जब राजस्व न्यायालय मौके पर कब्जा, भूमि के स्वामित्व की स्थिति जॉच कर लेता है। भूमि नगरपालिका सिरोंज क्षेत्र में स्थित है जिसके कारण निर्मित भवन पर संहिता की धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती।

शासन के पैनल लायर ने तर्को में बताया कि वादित भूखंड शासन के स्वामित्व की भूमि है आवेदक ने शासकीय भूमि पर अतिकमण करके मकान बनाया है और इन्हीं कारणों से निर्मित क्षेत्र पर से कब्जा हटाने व भूखंड रिक्त करने का आवेदक को नोटिस दिया गया है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदक ने श्री अन्सार अहमद एडव्होकेट व्दारा अमीनुद्वीन पुत्र जियाउद्वीन के हित में भूमि सर्वे नंबर 395 रकबा 0.126 है. में से मिन रकबा 0.023 हैक्टर अर्थात 50X50 फुट के विकय पत्र दिनांक 22.11.1984 की छायाप्रति बचाव में प्रस्तुत की है और बताया है कि यही वह भूखंड है जिस पर वादग्रस्त मकान निर्मित है जिसे तहसीलदार सिरोंज नोटिस दिनांक 4–12–2015 में अतिकमण होना बता रहे है। उन्होंने अमीनुद्वीन पुत्र जियाउद्वीन व्दारा आवेदक के हित में किये गये शपथ पत्र दिनांक 18–3–1987 की छायाप्रति प्रस्तुत कर बताया कि अमीनुद्वीन ने यह भूखंड आवेदक को दिया है एंव नगरपालिका सिरोंज में यह भूखंड आवेदक के नाम दर्ज है।

6/ तहसीलदार व्दारा जारी नोटिस दिनांक 4–12–15 में अंकित तथ्यों एंव उपरोक्त पद 6 में आये विवरण से यह निर्विवाद है कि वादोक्त भूखंड एंव भवन नगर पालिका सिरोंज क्षेत्र में स्थित है क्योंकि नगरपालिका सिरोंज में वादग्रस्त भूखंड एंव भवन आवेदक के नाम नामांत्रित है तब क्या तहसीलदार संहिता की धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये निर्मित मकान को हटाये जाने हेतु सक्षम हैं ? मदनलाल विरूद्व म0प्र0राज्य 1997 रा0नि0 109 (हा0को0) का न्यायिक दृष्टांत है कि नगरपालिका या नगर निगम के अधीन स्थित भूमि हेतु

संहिता की धारा 248 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। इसी प्रकार बच्छराज फैक्ट्री लि.उज्जैन विरूद्व म0प्र0राज्य 1987 रा0नि0 422 का न्यायिक दृष्टांत हे कि नगरपालिका की सीमा में स्थित भूमि का भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया । तहसीलदार को सूचना पत्र जारी किये जाने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। जबकि आवेदक के अभिभाषक के अनुसार वादग्रस्त भूखंड अन्सार अहमद एडव्होकेट व्दारा अमीनुद्दीन पुत्र जियाउद्दीन के हित में दिनांक 22.11.1984 को विकय किया जाना और केता अमीनुद्दीन व्दारा वादग्रस्त भूखंड एंव निर्मित मकान का हिवानामा आवेदक के हित में किया जाना प्रस्तुत अभिलेख से पाया गया है जिसके कारण तहसीलदार सिरोंज जिला विदिशा व्दारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की [illegible] के अंतर्गत आवेदक को जारी किये गये अतिकमण हटाओ सूचना पत्र कमांक 11 अ-68/ 2011-12 दिनांक 4-12-2015 को उचित नहीं ठहराया जा सकता , क्योंकि जब तक अमीनुद्दीन पुत्र जियाउद्दीन के हित में दिनांक 22.11.1984 को हुआ विकय पत्र, अमीनुद्दीन व्दारा वादग्रस्त भूमि का आवेदक के हित में किया गया हिवानामा , नगर पालिका सिरोंज में आवेदक के नाम वादग्रस्त भूखंड/निर्मित मकान का नामान्तरण सिविल न्यायालय से शून्य घोषित नहीं कराया जाता , तहसीलदार व्दारा सूचना पत्र कमांक 11 अ-68/ 2011-12 दिनांक 4-12-2015 से की जाने वाली कार्यवाही शून्यवत् है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार सिरोंज व्दारा आवेदक को जारी सूचना पत्र कमांक 11 अ-68/ 2011-12 दिनांक 4-12-2015 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य